05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

क्रमांक: राप्रनिम / क्षे.का.भ. / उपापन / 1143–1144   दिनांक 19.07.24

-: खुली निविदा सूचना संख्या 01 / 2024–25 -:

UBN:-

क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 की शेष अवधि के लिये अनुबंध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी जी.एस.टी. पंजीकृत संस्थाओं से डबल कवर सिस्टम के अंतर्गत मुहरबन्द खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लगत	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा शुल्क	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	निविदा खोले जाने की तिथि
1	02 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन	5.60 लाख रूपये	11,200 / – रूपये मात्र	500 / – रूपये	26.07.2024 कार्यालय समयानुसार	29.07.2024 को दोपहर 12:00 बजे	29.07.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे
2	01 ड्राइवर						
3	02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						
4	01 बागवान (अंशकालीन)						
5	02 सफाई कर्मी (अंशकालीन)						

निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें विभागीय वेबसाईट http:/www.rpcb.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हैं। खुली निविदा शुल्क एवम् अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट (सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर) के नाम निर्धारित तिथि / समय तक कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर में जमा कराने होंगे।

(उमेश कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त खुली निविदा सूचना को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म.,भरतपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

–: तकनीकी बोली प्रपत्र :–

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (दो), वाहन चालक (एक), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (दो), बागवान (अंशकालीन) (एक), सफाईकर्मी (अंशकालीन) (दो)।

- संदर्भ :– क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर की बोली सूचना संख्या– ....दिनांक.........................
- बोलदाता / संवेदक का नाम :– ....
- डाक का पता :– ....
....
- फोन / मोबाईल नं. :– ....
- ई–मेल :– ....
- बैंक का नाम :– ....

  आईएफएससी कोड :– ....

  खाता संख्या :– ....
- किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर।
- बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
- अमानत राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर **(PAYABLE AT BHARATPUR)** के पक्ष में रूपये 11,200 / – डीडी कमांक............................ दिनांक .... निम्नानुसार संलग्न है।
- खुली निविदा शुल्क राशि 500 / – रूपये सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय भरतपुर **(PAYABLE AT BHARATPUR)** के पक्ष में डीडी कमांक .... दिनांक .... निम्नानुसार संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

मोबाईल नं......................................

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज0)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

➤ बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:–

क.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6	BRN No. (Business Registration No.)				
7.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
8.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 100 रू. के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
9.	प्रामाणित बैंक खाता पासबुक / स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				
10.	विगत 2 वर्षो का सरकारी /अर्द्ध सरकारी संस्थानों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र /कार्यादेश की प्रति				

➤ मैं / हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना कमांक........................दिनांक......................में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

➤ संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

मोबाईल नं......................................

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

प्राईस शिड्यूल (वित्तीय बोली)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (दो), वाहन चालक (एक), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (दो), बागवान (अंशकालीन) (एक), सफाईकर्मी (अंशकालीन) (दो)।

क. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रूपयें में प्रति व्यक्ति
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (कुल संख्या 4)	उच्च कुशल	8658	02		नियमानुसार	नियमानुसार			
2.	वाहन चालक (कुल संख्या 1)	कुशल	7358	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं		
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कुल संख्या 2)	अकुशल	6734	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं		
4.	बागवान (अंशकालीन) (कुल संख्या 1)	अकुशल	3367	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं		
5.	सफाई कर्मी (अंश–कालीन) (कुल संख्या 2)	अकुशल	3367	02		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं		

- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 7,8,9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्तम्भ संख्या 7 एवं 8 में, (0) शुन्य, एवं (–) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम...

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज0)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

General Terms & Condition of Bid & Contract :

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advice to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
- निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
- दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।
- SPPP पोर्टल से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ भी निविदा शुल्क देय होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा।
- अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश की आपूर्ति के पश्चात् लौटाई जायेगी।
- अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।
- विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता/संवेदक का होगा।
- राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता/द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातो मे जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल

जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजूदरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा।
- राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) के सबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/दायित्वो के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होंगे। उक्त की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों एवं दायित्वों के लिए निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता ही जिम्मेदार होगा।
- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।
- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छंटनी, पुलिस वेरिफिकेशन, मुआवजा आदि देने का समस्त उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज0)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
- यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
- कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
- सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्यां में कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
- अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
- इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाए उसी कीमत, निबंधनों और शर्तो पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमत इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
- बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथी से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
- क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।
- बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।
- विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 7 दिन मे कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
- मूल्यांकन की कसौटी–बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
- बोली का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
- करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

प्रतिभूति के रुप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक **सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, देय भरतपुर** के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा मे बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम मे समायोजित की जा सकती है या लोटाई जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पुनः रकम की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति राशि दे देता है ।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

➢ **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण** (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):–

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण **(Forfeiture)** किया जा सकेगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

भुगतानः–

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारुप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस मे प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान मे होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। नियमानुसार आयकर एवं GST कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।

➢ यदि अनुबंधित श्रमिक की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरंत इनके स्थान पर नया अनुबंधित श्रमिक लगाना होगा।
➢ अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेंगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
➢ निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
➢ निविदादाता के अनुबंधित श्रमिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
➢ अनुबंधित श्रमिक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दूर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
➢ ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
➢ अनुबंधित श्रमिक कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल के निर्देशानुसार कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से बदलना होगा।
➢ उपलब्ध कराये गये अनुबंधित श्रमिकों के फोटो पहचान पत्र तथा योग्यता सम्बन्धी दस्तावेज का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

- सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
- किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम भरतपुर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
- सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र , भरतपुर न्यायालय ही रहेगा।
- नियमानुसार कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
- किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- अनुबंधित श्रमिक घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित श्रमिक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों/नियम निविदाता को मान्य होंगे।
- अनुबंधित श्रमिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
- निर्धारित समय पर या निर्धारित गुणवता के अनुरूप कार्य न पाये जाने पर अथवा विभाग को आवश्यकता न होने पर अनुबन्ध को समय पूर्व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राप्रनिम, भरतपुर को होगा।
- बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है :–

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, भरतपुर, दूरभाष 05644-238114

E-mail:- rorpccb.bhatapur@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

मोबाईल नं.....................................

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

1. **कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, संख्या – दो (मैन विद मशीन) हेतु निविदा की शर्तें:–**

(i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विडोंज/लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।

(ii) कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(iii) कम्प्यूटर ऑपरेटर स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

➢ **मशीनों का विवरण:–** निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।

(i) **Computer-** Intel Core i3/Equivalet AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB OR higher, Hard disk 250GB or more 15'' Monitor/TFT or biggar 10/1001000Mbps Lan card, cd/DVD writer standards keyboard, optical mouse, standard serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

(ii) **Printer**:- Black and White laser printer with speed 15ppm or more, for specific needs, Do matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(iii) **UPS**:- Online/Offline UPS for abve Computer and printer with 30 minutes battery backup.

2. यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन 300/– की कटौती की जावेगी।
3. यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017 Dated 30-04-2018 के अनुरूप होगी।

2. **वाहन चालक, संख्या 1, हेतु निविदा शर्ते :–**

➢ (i) वाहन चालक स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना आवश्यक है।

(ii) ड्राइवर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

(iii) उपलब्ध कराये जाने वाले ड्राइवर के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वाणिज्यिक वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

(iv) ड्राइवर को 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

➢ ड्राइवर को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन को चलाना होगा।

➢ वाहन चलाते समय यदि ड्राइवर की लापरवाही से किसी भी प्रकार का चालान बनता है तो उस चालान को जमा कराने के लिये ड्राइवर स्वयं जिम्मेदार होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संख्या दो, हेतु निविदा शर्ते :–

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना आवश्यक है।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

4. बागवान (अंशकालीन), संख्या एक, हेतु निविदा शर्ते :–

- शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर कर्मियों का सामान्यः अवकाश रहेगा, परन्तु आवश्यकता होने पर बिना अतिरिक्त भुगतान के सेवाएं देनी होगी। उपरोक्त दिवसों पर कार्य से इन्कार करने पर तीस दिन का महीना मानते हुए देय बिल में से अनुपातिक रूप से कटोती की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा बागवानी कार्य हेतु प्रातःकाल बागवान लगाना होगा। आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त बागवान सामान्य शर्तो के साथ उपलब्ध कराने होंगे। यह व्यवस्था सप्ताह में 6 दिवस (रविवार को छोडकर) रहेगी।
- बागवानी कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामग्री यथाः झाडू, परात, फावडा, कुदाली, पानी, मिट्टी, आदि सामान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। आवर्ती सूची के अनुसार निर्धारित स्थानों पर इनका उपयोग करना होगा।
- झाडू, गेती, फावडा, इत्यादि आवश्यक सामान की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जायेगी।

5. सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा शर्ते :–

- शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर कर्मियों का सामान्यः अवकाश रहेगा, परन्तु आवश्यकता होने पर बिना अतिरिक्त भुगतान के सेवाएं देनी होगी। उपरोक्त दिवसों पर कार्य से इन्कार करने पर तीस दिन का महीना मानते हुए देय बिल में से अनुपातिक रूप से कटोती की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु प्रातःकाल सफाईकर्मी लगाने होंगें। आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त सफाईकर्मी सामान्य शर्तो के साथ उपलब्ध कराने होंगे। यह व्यवस्था सप्ताह में 5 दिवस (शनिवार, रविवार को छोडकर) रहेगी।
- सफाई कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामग्री यथाः फिनॉयल, टोयलेट क्लीनर, नेफ्थलीन गोली, डिटरजेन्ट, विम पाउण्डर, एसिड, तरल साबुन, आदि सामान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- **कार्य का विवरणः–** क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर के सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिये अनुबन्ध।

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

1. निविदा दाता का नाम :...
2. मोबाइल नम्बर :...
3. E-Mail ID :- ....
4. डाक का पता– ....

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

घोषणा–पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्ट्रर्ड हैं तथा मेरे/हमारे द्वारा वास्तव में बोली मे चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराये जाते हैं तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रुप में समाप्त किया जा सकेगा तथा बोली, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय मोहर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid;or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date .... Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

Annexure: B

Declaration by the bidder regarding Qualifications

Declaration by the bidder

In relation to my/our bid submitted to Regional officer, RSPCB, Bharatpur for procurement of service of Scientific Assistant, Computer Opretor, Field assistant, Lab attentend, Peon, Driver, Gardner and Sweeper in response to their notice inviting Bid No .... Dated .... I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We do not have and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________ The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:- (a) determination of need of procurement; (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process; (c) the decision of whether or not to enter into negotiations; (d) cancellation of a procurement process; (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date ....   Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644–238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal No ....of .... Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s): (i) (ii) (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....
(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....
.... Place
....

Date ....

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज०)

05644.238114

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज.)

Annexure D
Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract. (iii)In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods) As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date .... Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भरतपुर (राज0)